

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
मुख्यालय जयपुर

दिनांक:- 04-06-2020

क्रमांक/मु/एफ-141/विधि/वित्त/2020/58

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेशों का अतिलघन करते हुये उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में निगम की ओर से वाद व्यय की राशि को निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

1-राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित प्रकरणों हेतु:-

क्रम सं.	मद का नाम	निर्धारित दर (रूपये)
1.	डिक्टेसन व टंकण चार्ज प्रति पृष्ठ	50.00
2.	फोटो स्टेट चार्जेज प्रति पृष्ठ	2.00
3.	वकालतनामा (समस्त शुल्क सहित)	200.00
4.	फाईलकवर टैग्स आदि	150.00
5.	शपथ पत्र प्रमाणीकरण चार्जेज	100.00
6.	निर्णयो की प्रमाणित प्रति प्राप्ति व्यय	300.00
7.	विविध खर्चे	200.00

2-अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित प्रकरणों हेतु:-

क्रम सं.	मद का नाम	निर्धारित दर (रूपये)
1.	डिक्टेसन व टंकण चार्ज प्रति पृष्ठ	25.00
2.	फोटो स्टेट चार्जेज प्रति पृष्ठ	2.00
3.	वकालतनामा (समस्त शुल्क सहित)	100.00
4.	अन्तिम निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्ति व्यय	225.00
5.	विविध खर्चे	200.00

यह आदेश श्रीमान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय की अनुमति एवं वित्तीय सलाहकार की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

उक्त दरें आदेश जारी किये जाने की दिनांक से प्रभावी होगी।

(हारून अली)

कार्यकारी निदेशक (विधि)


क्रमांक/मु/एफ-141/विधि/वित्त/2020/58

दिनांक:-

04-06-2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रारापपनिगम, मु. जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष -----रारापपनिगम, मु. जयपुर।
3. कार्यकारी प्रबंधक(विधि)/(एमएसीटी)/(विधि/श्रम), रारापपनिगम, मु. जयपुर।
4. समस्त मुख्य उत्पादन प्रबंधक/मुख्य प्रबंधक/प्रबंधक(वित्त), (जरिये ई-मेल)
5. समस्त वरिष्ठ/कनिष्ठ विधि अधिकारी, प्रभारी अधिकारी।
6. सहायक लेखाधिकारी(विधि), रारापपनिगम, मु. जयपुर।
7. निजी/आदेश पत्रावली।


4/6/2020
(हारून अली)

कार्यकारी निदेशक (विधि)